

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-08122020-223579
SG-DL-E-08122020-223579

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268]	दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 7, 2020/अग्रहायण 16, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 218
No. 268]	DELHI, MONDAY, DECEMBER 7, 2020/AGRAHAYANA 16, 1942	[N. C. T. D. No. 218

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2020

सं.फा. 05/72/2005/गृह पु.-I/स्था./2231-2237.—निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियम) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) की धारा 2 के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (1) के अनुसरण में तथा दिनांक 5.2.2009 की अधिसूचना सं० 05/72/2005/गृह पु.-I/स्था./4494 के आंशिक आशोधन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ विशेष सचिव/अपर सचिव (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में नामित करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एम. के. अग्रवाल, उप-सचिव (गृह)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT
NOTIFICATION

Delhi, the 7th December, 2020

F. No. 5/72/2005/HP-1/Estt./2231-2237.—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 3 read with clause (i) of section 2 of Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005) and in partial modification of notification No. 5/72/2005/HP-I/Estt./ 4494 to 4500 dated 05.02.2009, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to designate the Special Secretary/ Additional Secretary (Home), Government of National Capital Territory of Delhi, to be the Controlling Authority for the purposes of the said Act, in the National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the Name of the Hon'ble Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
M. K. AGGARWAL, Dy. Secy. (Home)